संख्या- 11/2022/363-सामान्य /सैंतालीस-का-4-2022-1/3/96

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2022

विषय:- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष-2022-23

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29.03.2018 द्वारा निर्गत की गयी स्थानान्तरण नीति एवं स्थानान्तरण से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को विखण्डित करते हुये वर्ष 2022-23 में स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है ।

2. समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

(i) जनपदों में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारी जो अपने सेवाकाल में संबंधित जनपद में कुल 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त जनपदों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। इसी प्रकार समूह 'क' एवं समूह 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में एक मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डल से स्थानान्तरित कर दिया जाय। विभागाध्यक्ष/मण्डलीय कार्यालयों में की गयी तैनाती अवधि को स्थानान्तरण हेतु उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जायेगा। मण्डलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी तथा इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण वरीयता के आधार पर किये जायेंगे।

(ii) विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान हैं, तो मुख्यालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय में 03 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाए किन्तु जनपदों व मण्डलों में तैनाती की अवधि को उक्त निर्धारित अवधि में न गिना जाए। जनपदों व मण्डलों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग-अलग माना जाए।

(iii) उपरोक्तानुसार समूह 'क' एवं 'ख' के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक ही किये जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता होने पर मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv) समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे।

1– यह शासनादेश । इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2– इस शासनादेश । की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

(v) स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त समूह 'क' के कार्मिकों के संबंध में मा0 विभागीय मंत्री के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा। समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा0 विभागीय मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

3. समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

(i) समूह 'ग' के कार्मिको के स्थानान्तरण संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेंगे।

(ii) समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(iii) स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किये जा सकेंगे।

(iv) समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाएं ।

(v) इसके अतिरिक्त समूह 'ग' हेतु पटल परिवर्तन/क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-8/2022/सा0-119/सैंतालिस-4-2022-(1/3/96) दिनांक13 मई,2022 द्वारा निर्गत व्यवस्था का अनुपालन समूह 'ग' के समस्त कार्मिकों (प्रदेश/ मण्डल/ जनपद स्तर) के संबंध में कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा ।

4. अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत:-

(i) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाए।

(ii) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा।

(iii) समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू होंगे।

(iv) भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से संबंधित 08 जिले-चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाए।

(v) स्थानान्तरण सत्र की निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान्यत: स्थानान्तरण के प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जायें।

(vi) स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट-आफ-डेट 31 मार्च को माना जायेगा।

(vii) यह प्राविधान उत्तर प्रदेश सचिवालय में लागू नही होंगे ।

1– यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2– इस शासनादेश की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

5. विभागों द्वारा निम्न परिस्थितियों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्नवत स्थानान्तरण किये जा सकेगें:-

(i) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार कभी भी स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(ii) प्रोन्नति, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(iii) किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

(iv) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(v) मंदित बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

(vi) दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(vii) 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाय।

6. आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जायें किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा0 विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।

7. शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र 2022-2023 में दिनांक 30 जून, 2022 तक पूर्ण कर लिये जायें।

8. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

9. समूह 'ख एवं समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण यथासम्भव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किये जाए ।

10. प्रोन्नति/सीधी भर्ती की नव नियुक्ति के आधार पर की जाने वाली तैनातियों को स्थानान्तरण हेतु निर्धारित प्रतिशत की सीमा में नहीं गिना जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर यदि स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र में किये जाते हैं तो उन्हें संबंधित समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' हेतु निर्धारित प्रतिशत की परिधि में गिना जायेगा।

1– यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2– इस शासनादेश की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

11. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना:-

(i) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा नवीन तैनाती के पद पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें स्वत: कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

(iii) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

(iv) भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से संबंधित 08 जनपदों एवं बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। यह प्रतिबंध आई.ए.एस./आई.पी.एस./पी.सी.एस.एवं पी.पी.एस. अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

12. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण:-

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जायें। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाए।

13. स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश:-

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाए। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जाए। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाए तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाए।

14. चार्ज नोट:-

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त, संबंधित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अत: स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण

1– यह शासनादे । इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आव यकता नही है।

2– इस शासनादे । की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in/

प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ज नोट बना दें ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

15. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मा0 मुख्य मंत्री द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

16. इस स्थानान्तरण नीति में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त मा0 मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

17. उपरोक्त स्थानान्तरण नीति में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्धन मा0 मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकेगा ।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या-**11/2022/363-सामान्य /सैंतालीस-का-4-2022-1/3/96, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री ।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/

1– यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2– इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।